

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 261/2012

19.01.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता वास्ते याची ।

श्री जितेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

अयाची संख्या 4 के नोटिस पर यह रिपोर्ट आई है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है।

याची के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अयाची संख्या 4 के नाम के आगे दौराने याचिका "मृतक" अंकित करते हुए संशोधित वाद शीर्षक दो सप्ताह में पेश करें।

प्रकरण दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

बीएलजैन/ 1